जगदीश नारायण जांगिड	पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट कालवाड़ में पेश हुई। उभय पक्ष वादीगण एवं प्रतिवादीगण	

रामजी लाल व्यक्तिगत कैम्प कोर्ट में उपस्थित हुये। उभयपक्षों
को पत्रावली में उपलब्ध करवाने का

जगदीश वगै. बनाम मदनलाल वगै.

किस्म मुकदमा दावा 53/188 नं. 83 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अवलोकन कराया गया। उभयपक्षों ने कुरेजात को कब्जे अनुसार सही होना स्वीकार कर कुरेजात पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तहसीलदार टोंक के पत्रांक: मु-अ./13/403 दिनांक 8-2-13 के द्वारा पूर्व में प्राप्त कुरेजात पर वर्तमान पद स्थापित पटवारी गिरदावर व तहसीलदार टोंक ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये तथा कुरेजात की पुष्टि और तैयार की जाकर शामिल पत्रावली कराये गये। तहसीलदार टोंक के पत्रांक: मु-अ./13/403 दिनांक 8-2-13 के संलग्न प्राप्त कुरेजात पर उभयपक्ष सहमत होकर राजी हो गये हैं तथा अपने-अपने हस्ताक्षर भी किये हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार टोंक को आदेश दिये जाते हैं कि उभयपक्षों का नियमानुसार अलग-अलग खाता एवं लगान कायम किया जावें।

(1) वादीगण जगदीश, लल्लू प्रसाद, रामजीलाल :- वादीगण के हिस्से में हरे रंग से दर्शित भूमि ख.नं. 367/1 (0.28), 368 (0.29), 373 (0.07), 375 (0.31), 380 (0.27), 381 (0.23), 434 (0.37), 441 (0.26), 442/1 (0.14), 448 (0.11), 455 (0.19), 457 (0.41), 460/1 (0.30) एवं 467 (0.32) कुल किता 14 कुल रकबा 3.55 हे. भूमि रहेगी।

(2) प्रतिवादीगण :- मदनलाल, हनुमान सहाय व बद्रीनारायण के हिस्से में लाल रंग से दर्शित भूमि ख.नं. 366/0.02

(बायाँ हाशिया:) लल्लू प्रसाद जांगिड़ / जगदीश नारायण जांगिड़ / रामजीलाल जांगिड़

(दायाँ हाशिया:) मदनलाल जांगिड़ / हनुमान सहाय / बद्रीनारायण जांगिड़

हस्ताक्षर
सहायक कलक्टर
टोंक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	$\frac{367/2}{0.28}$, $\frac{370}{0.14}$, $\frac{371}{0.21}$, $\frac{372}{0.04}$, $\frac{374}{0.04}$, $\frac{376}{0.19}$, $\frac{377}{0.28}$, $\frac{378}{0.24}$ $\frac{432}{0.13}$, $\frac{433}{0.07}$, $\frac{435}{0.20}$, $\frac{437}{0.05}$, $\frac{438}{0.07}$, $\frac{439}{0.05}$, $\frac{440}{0.11}$, $\frac{442/2}{0.13}$, $\frac{449}{0.09}$, $\frac{450}{0.09}$, $\frac{456}{0.16}$, $\frac{458}{0.31}$, $\frac{460/2}{0.35}$, $\frac{465}{0.14}$ तथा $\frac{467}{0.17}$ कुल किता 24 कुल रकबा 3.56 है० भूमि रहेगी।	
3	ख०नं० $\frac{369}{0.13}$ तथा $\frac{436}{0.04}$ कुल किता 2 कुल रकबा 0.22 है० भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते की भूमि रहेगी जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण का $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ हिस्सा रहेगा।	
	उक्त बंटवारे की पालना हेतु तहसीलदार टोंक को तहरीर जारी हो। फर्द डिक्री जारी हो। मुकदमा फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर रिकार्ड हो। निर्णय राजस्व लोक अदालत [illegible] कैम्प के मजमे आम में लिखवाया जाकर सुनाया गया।	
	[signature] सहायक कलेक्टर टोंक	

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट टोंक जिला टोंक